

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 931/2026

Nathusingh Major S/o Shri Sankar Singh

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Rahul Patni, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

27/05/2026

धारा-5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन पर सुना गया।

आवेदन में वर्णित तथ्य एवं प्रस्तुत तर्कों को देखते हुए आवेदन स्वीकार किया जाकर निगरानी याचिका पेश करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्त का निवेदन है कि उनके द्वारा टंकणीय त्रुटि से दिनांक 15.09.2025 से अभियुक्त का अभिरक्षा में होना बताया है, किन्तु उनकी जानकारी के अनुसार अभियुक्त द्वारा बाद में समर्पण किया गया है, अतः वे संशोधित प्रमाण पत्र अन्तर्गत 311(3) राजस्थान उच्च न्यायालय, नियम 1952 के तहत प्रस्तुत करना चाहते हैं।

प्रार्थनानुसार एक अवसर दिया जाता है।

विद्वान लोक अभियोजक को भी निर्देशित किया जाता है कि आगामी पेशी पर अभियुक्त का अभिरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

प्रकरण एक सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J